

पत्रक

दिनांक (24)

निदेशक

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में

प्रधानाचार्य / प्रबन्धक,
एचपीओ प्रो. आईटीओआईओ
कमालपुर तहसील-बेहल,
सहारनपुर।

पत्रक / टी-3 / रा0प्र0 / मा0सं0संस्तुति / 2015

लखनऊ : दिनांक : 30/07/2015

विषय- भारतीय गुणवत्ता परिषद की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर राजकीय/निजी औद्योगिक संस्थानों के आवेदन/यूनिटों का स्थायी सम्बन्धन प्रदान किये जाने के बारे में महा निदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, नई दिल्ली में गठित उप समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना के सम्बन्ध में।

संदर्भ

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके संस्थान से संबंधित भारतीय गुणवत्ता परिषद की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 04.05.2015 पर दिनांक 30.07.2015 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की उप समिति की बैठक सम्पन्न हुई। उप समिति द्वारा आपके संस्थान से सम्बन्धित उक्त निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में जो निर्णय लिया गया है, उसका उद्घारण व्यवसायवार नीचे अंकित किया जा रहा है-

क्रम सं.	व्यवसाय/एकक जिनके लिए संस्थान/केन्द्र द्वारा स्थायी सम्बन्धन का अनुरोध किया गया।		संस्तुति की गयी		अन्युक्ति
			भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा की गयी संस्तुति	टी0जी0ई0टी0 द्वारा प्रदान की गई स्थायी मान्यता	
1	2	3	4	5	
1-	Fitter	3(1+1+1)	3(1+1+1)	3(1+1+1)	Assessment-04-05-2015 app004678 W.e.f. Aug 2015
2-	Electrician	3(1+1+1)	3(1+1+1)	3(1+1+1)	
3-	Health Sanitary Inspector	3(1+1+1)	3(1+1+1)	3(1+1+1)	
DGET-6/24/59/2015-TC DATED 30/07/2015					

निर्णय - यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान से संबंधित व्यवसायों को मान्यता प्रदान नहीं की गई है तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन अमान्य व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों को आगामी अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जावेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भारतीय

(सज्जद अहमद)

निदेशक

पत्रक / टी-3 / रा0प्र0 / मा0सं0संस्तुति / 2015 लखनऊ

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. संप्रदाय निदेशक (पत्र/सिद्ध) पत्र को इस आशय में भेजिए कि यह उपरोक्त विषय विन्दु पर विरह ध्यान से तथा संबंधित राजकीय/निजी औद्योगिक संस्थानों को भी अपने स्तर से अवगत करावे।
2. संबंधित राजकीय/निजी औद्योगिक संस्थान की अधिकतम प्रशासकीय हेतु।
3. सार्त फाइल हेतु।
4. उप निदेशक, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, अलीगढ़, लखनऊ।